

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** Anti Corruption Bureau, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023
- FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0013 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 14/03/2023 22:57 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
- 1 **Day (दिन):** Tuesday **Date from (दिनांक से):** 14/03/2023 **Date To (दिनांक तक):** 14/03/2023
- Time Period (समय अवधि):** **Time From (समय से):** 19:30 hrs **Time To (समय तक):** 21:20 hrs
- (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/03/2023 **Time (समय):** 21:20 hrs
- (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 023 **Date and Time (दिनांक और समय):** 14/03/2023 22:43 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 85 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) **Address (पता):** फिरोजपुर झिरका जिला नुहँ,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

- (a) **Name (नाम):** मौहम्मद मुस्तुफा
- (b) **Father's Name (पिताका नाम):** सुबेदार खान
- (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/10/1986 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
- (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
- (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव नगीना जिला नुह, NUH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव नगीना जिला नुह, NUH, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	चाँद सिंह ए0एफ0एस0ओ0			1. डी0एफ0एस0सी0 कार्यालय नुह, NUH, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, श्रीमान इन्सपेक्टर साहब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नूह श्री मान जी, मैं मौहम्मद मुस्तुफा पुत्र सुबेदार खान निवासी गांव नगीना जिला नूह का रहने वाला हूँ मेरे पिताजी सुबेदार खान के नाम से सरकारी राशन का डिपो है मैं मेरे पिताजी के साथ इस काम मे मदद करता हूँ मेरे गांव के राशन डिपो मे जो राशन आता है उसको हम ईमानदारी से वितरण कर देते है जिसका हमे सरकार द्वारा 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाँटने का कमीशन मिलता है । कमीशन प्राप्त करने के लिये हमे फाईल तैयार करके डी0एफ0एस0सी0 कार्यालय मे जमा करानी पडती है वहाँ पर ए0एफ0एस0ओ0 चाँद सिंह इस फाईल पर अपनी रिपोर्ट करता है तब यह कमीशन के पैसे हमारे खाते मे आते है । चाँद सिंह ए0एफ0एस0ओ0 ने इस फाईल पर अपनी रिपोर्ट करने के लिये 50/60 हजार रुपये मागे थे , मैने कहा कि

जनाब बहुत ज्यादा है इतने तो कमीशन के पैसे भी नहीं आते हैं तो उसने कहा कि जब तक फाईल पर रिपोर्ट नहीं करूंगा रुपये नहीं आयेगे, तो मैंने मजबूरी के कारण उनको पैसे देने की हॉ कर ली और उसने फाईल पर अपनी रिपोर्ट कर दी, जो मार्च 2023 के महिने में ए0एफ0एस0ओ0 चॉद सिंह के बुलाने पर उसके किराये के कमरे पर फिरोजपुर झिरका गया था जिसने कहा कि आपका कमीशन आ गया है और अपने रिशवत के 50,000 रुपये माँगने लगा । मैंने मजबूरीवश 20,000 रुपये उसको दे दिये । अब चॉद सिंह ए0एफ0एस0ओ0 बाकी रिशवत के 30000 रुपये माँग रहा है मेरे ट्रान्सपोर्ट के किराये के पैसे अभी मेरे खाते मे नहीं आये जब तक ए0एफ0एस0ओ0 चॉद सिंह अपनी रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक मेरे ट्रान्सपोर्ट का किराया मेरे खाता मे नहीं आयेगा, जिसने कहा है कि मेरे बाकी रिशवत के पैसे नहीं दोगे, तब तक आपका ट्रान्सपोर्ट के किराया की RTGS के कागज पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा । मैंने कई दिन पहले उसकी विडियो रिकार्डिंग की थी जिसमे विडियो तो साफ नहीं आ रही लेकिन आवाज साफ आ रही है, जो रिपोर्ट के बदले 50/60 हजार रुपये माँग रहा है । आज दिनांक 14.03.2023 को चॉद सिंह ने मेरे मोबाईल फोन न0 9812783486 पर अपने मोबाईल फोन न0 7982037233 से समय करीब 11:25 सुबह के समय फोन किया तथा रिशवत के रुपये 10,000 रुपये देने की मांग की है, मैं रिशवत नहीं देना चाहता मेरा चॉद सिंह ए0एफ0एस0ओ0 से मेरा कोई लेन-देन नहीं है और नाही कोई रंजिश है मैं विडियो रिकार्डिंग आपको बाद मे पेश कर दूंगा । ए0एफ0एस0ओ0 चॉद सिंह एक सरकारी अधिकारी होकर रिशवत की मांग कर रहा है । चॉद सिंह ए0एफ0एस0ओ0 नूह के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये । प्रार्थी मौ0 मुस्तुफा, मौहम्मद मुस्तुफा पुत्र सुबेदार खान निवासी गांव नगीना जिला नूह । मो0न0 -9812783486 दिनांक 14.03.2023 कार्यवाही पुलिस :- आज दिनांक 14.03.2023 को मैं अपने स्टाफ सहित कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र नूह मे मौजूद हूँ कि शिकायत करता मौहम्मद मुस्तुफा उपरोक्त ने हाजिर आकर उपरोक्त टाईप शुदा शिकायत मेरे को प्रस्तुत की है जिसके विषय एवं हालात को समझकर मैं आश्वस्त हुआ जो शिकायत के विषय मे उच्चधिकारियों को टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराया गया है । और शिकायत के सार से धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का जुर्म होना पाये जाने पर तहरीर हजा को अभियोग अंकित करने हेतु EHC खुशीराम न0 914/SRS के हाथो थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या सूचित किया जाये तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट उचित माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को समय पर भिजवाई जाये । श्रीमान उपायुक्त नूह के पत्र क्रमांक 5349/M.B. दिनांक 06.02.23 के अनुसार राजपत्रित गवाह/स्वतन्त्र गवाह की सूची मे से श्री जान मौहम्मद , SDO , पंचायती राज नूह को टेलीफोन के माध्यम से बुलाया गया तथा अपने रैंडिंग टीम मे शामिल होने के लिए एक छाया गवाह अपने कार्यालय से साथ लाने के लिए कहा गया है । जिस पर श्री जान मौहम्मद अपने साथ सौकत अली कलक , कार्यालय XEN पंचायती राज नूह के साथ हाजिर कार्यालय आया है इसके पश्चात मेरे द्वारा एक रैंडिंग टीम तैयार की गई है जिसमे HC जगेश 450/Fbd, Ct अनुप 1045/GGM, Ct इन्द्रजीत 188/Fbd व Ct मनोज 1213/पलवल तथा चालक ESI अमर सिंह 483/NNL को शामिल किया गया है तथा सरकारी गाडी न0 HR03Z 9500 मे तपतीशी बैग एवं लैपटाप साथ लिया गया है अब मैं समस्त रैंडिंग टीम के सदस्यो एवं राजपत्रित अधिकारी छाया गवाह तथा शिकायत कर्ता मौ0 मुस्तुफा के साथ अपनी सरकारी गाडी एवं शिकायत कर्ता की प्राइवेट गाडी से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु घटनास्थल का रवाना होता हूँ । स्थान :- ACB Office NUH, Jaipal निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र नूह दिनांक 14.03.23 समय - 7:30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नूह बदस्त EHC खुशीराम न0 914/SRS के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 जयपाल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC खुशीराम न0 914/SRS के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13.

**Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):  
/ or ( या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Jaipal Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1968				
Is pox pitted: Yes						

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)